1570
28/11/19

दिनांक 28/11/19
..........उपस्थित।
आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर
पधारे हुए है अतः पेशी [illegible] होकर पत्रावली
आयंदा दिनांक 16/12/19 पेश हो।
रीडर,
उपखण्ड न्यायालय, सुमेरपुर

16/12/19

पत्रावली पेश हुई। सरकारी पैरोकार उप०। सरकारी पैरोकार ने अपने जवाब प्रा० पत्र में निवेदन किया कि बाराबन्दी में लिपिकिय भूल सुधार का कार्य संबंधित जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सबूत में राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 की फोटो प्रति पेश की एवं निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 में परिपोषणीय नही है। धारा 136 में राजस्व रेकर्ड में त्रुटी सुधार हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है न कि बारा बन्दी की सूचियों में संशोधन हेतु।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का भी अवलोकन किया। राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 के अध्याय 3 बिन्दु सं० 17 जल संगम के कृत्य के (क) में स्पष्ट अंकित है कि जल संगम उपभोक्ता प्रत्येक सिंचाई मौसम के लिए अपने हकदारी सेज, मृदा और फसल क्रम पर आधारित, कार्य योजना के अनुरूप बाराबन्दी सूचि तैयार करना और लागू करना अंकित

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	है। इस प्रकार बाराबन्दी की सूचियां जल उपभोक्ता संगम द्वारा तैयार की जाती है न कि तहसीलदार या अधिशाषी अभियंता जवाई नहर खण्ड या सहायक अभियन्ता नहर खण्ड द्वारा। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 R.L.R Act में पेश किया है। धारा 136 R.L.R Act में प्रार्थना पत्र भू प्रबन्ध विभाग की त्रुटी सुधार हेतु पेश किया जाता है एवं राजस्व रेकर्ड में सुधार हेतु पेश किया जाता है जबकि यह प्रा० पत्र बाराबन्दी की सूचि सुधार हेतु पेश किया है जो परिपोषणीय नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.23 16:37:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: